UPSP070000962026

Presented on : 15-05-2026
Registered on : 15-05-2026
Decided on : 10-07-2026
Duration : 0 years, 1 months, 26 days

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द, सहारनपुर।

उपस्थित–देवेन्द्र नाथ सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा (यू0पी0 6494)

फौजदारी अपील संख्या–04/2026

(पुराना नं0–45/2026)

1. शहजाद खान पुत्र समझखेल खान निवासी आनन्द विहार निकट रामगढी चौक हापुड थाना कोतवाली नगर जिला हापुड।

–––––––अपीलकर्ता

बनाम

1. सरकार
2. श्रीमती शगुफ्ता यासमीन पुत्री यासीन खान निवासी गांधी कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

–––––––उत्तरदातागण

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी अपील, अपीलार्थी शहजाद खान द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, जिला सहारनपुर के द्वारा वाद संख्या 35/2023, श्रीमती शगुफ्ता यासमीन बनाम शहजाद खान आदि अन्तर्गत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 थाना देवबन्द जिला सहारनपुर में पारित आदेश दिनांकित 08.04.2026 के विरूद्ध योजित की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 08.04.2026 के माध्यम से वादिया/उत्तरदाता संख्या 2 श्रीमती शगुफ्ता यासमीन की ओर से अपनी पुत्री की सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसकी पुत्री को उसके सुपुर्द करने का आदेश पारित किया गया है।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील में यह आधार लिये गये है कि आदेश विद्वान विचारण न्यायालय दिनांकित 08.04.2026 विरूद्ध विधि विधान एवं तथ्यों के भार के है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा एक वाद घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत देवबन्द न्यायालय में दिनांक 07.06.2023 में दायर किया गया था, जिसमें विपक्षी के बेटे सांजील की उम्र 10 वर्ष व बेटी समारा की उम्र 08 वर्ष दर्शायी थी। इसके बाद विपक्षी ने जानबूझ कर बदनीयती से समारा की कस्टडी प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 08.04.2026 में दिए गए कस्टडी प्रार्थना पत्र में भी समारा की उम्र 08 वर्ष दर्शायी जबकि समारा 11 वर्ष की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.04.2026 को दिए गए प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी को एतराज दाखिल करने का मौका नहीं दिया और दिनांक 08.04.2026 में ही विपक्षी के प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने भी अपने आदेश में बच्चों की उम्र क्रमशः 10 वर्ष व 08 वर्ष अंकित की है, जिस कारण से भी विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने कस्टडी आदेश पारित करने से पूर्व कु0 समारा को तलब करके उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की जबकि समारा अपीलार्थी (पिता) के पास रहकर दिल्ली पब्लिक स्कूल हापुड में कक्षा 7 में पढ रही है। यदि इस अवस्था में बच्ची को विपक्षी के साथ

जबरन भेजा जाता है तो इससे उसकी मानसिक स्थिति व भावानात्मक संतुलन एवं शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। समारा अपने पिता (अपीलार्थी) के साथ रहना चाहती है, उसका लगाव अपीलार्थी से ही है। विपक्षी दोनों बच्चों को छोडकर अपने मायके चली गयी थी। अपीलार्थी ने ऐसे समय में बेटे व बेटी का पूर्णतया ध्यान रखा। उनका सही तरीके से लालन पालन पोषण किया और उनकी बचपन की तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया। ऐसी स्थिति में विपक्षी को बेटी समारा को अपनी कस्टडी में मांगने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही बेटी विपक्षी के पास जाना चाहती है। विचारण न्यायालय ने मैकेनिकल–वे में आदेश पारित कर दिया है, जिसमें तथ्यों का कोई डिस्कसन नहीं है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना की गयी है कि अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.04.2026 निरस्त किया जाए।

3– उत्तरदाता संख्या 2 श्रीमती शगुफ़्ता यासमीन की ओर से आपत्ति कागज संख्या 16ख मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गयी, जिसमें अभिकथन किया है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील असत्य, मनघडन्त तथा अविधिक तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकित 08.04.2026 न्याय, साम्य व सदविवेक के आधार पर प्राकृतिक न्यायालय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई भी अवैधानिकता विधिक बिन्दू की नहीं है। किसी भी नाबालिग बच्चे का शारीरिक, मानसिक व बौधिक विकास तथा शिक्षा इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए ही बच्चे की अभिरक्षा के सम्बन्ध में बच्चे के भविष्य को दृष्टिगत रखते ही विचारण न्यायालय द्वारा अवयस्क की अभिरक्षा माता श्रीमती यासमीन के पक्ष में आदेश पारित किए है। अपीलार्थी दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, जिसकी ड्यूटी 8 से 10 घन्टे की होती है तथा आवागमन इत्यादि में भी समय लगता है। अपीलार्थी पिता शहजाद खान अवयस्क की सम्पूर्ण देखभाल करने में असमर्थ है तथा माता श्रीमती शगुफ़्ता यासमीन एक पढी लिखी शिक्षित महिला है जो कि अवयस्क पुत्री समारा के बौधिक, शारीरिक, मानसिक विकास माता में निहित है तथा माता ही अवयस्क के सर्वागीण विकास में पिता की अपेक्षा सहायक है। प्रार्थना की गयी कि अवयस्क समारा के सर्वागीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जाए।

4– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

5– अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में लिए गए आधारों को दोहराते हुए विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 08.04.2026 विधि विरूद्ध होने तथा अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश निरस्त करने की याचना की गई।

उपरोक्त के विरूद्ध विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत् एवं तथ्यों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील निरस्त किए जाने की याचना की गई।

6– विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता संख्या 02/प्रार्थीया श्रीमती शगुफ़्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 35/2023 श्रीमती शगुफ़्ता बनाम शहजाद खान आदि, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत योजित किया गया, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिया/उत्तरदाता संख्या 2 श्रीमती शगुफ़्ता यासमीन की ओर से अपनी पुत्री की सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांकित 08.04.2026 के माध्यम से स्वीकार करते हुए उसकी पुत्री को उसके सुपुर्द करने का आदेश पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील योजित की गयी है।

7– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 श्रीमती शगुफ्ता के प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी पर पारित आदेश दिनांकित 08.04.2026 यह निष्कर्ष दिया गया है कि– ''विपक्षीगण के विरूद्ध घरेलू हिंसा का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। वादिया द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अपनी पुत्री की आयु 08 वर्ष बतायी गयी है। बच्चे के लिए उसका अपनी मां के पास होना अति आवश्यक है। बच्चे का कल्याणकारी हित भी उसकी अपनी मां के साथ रहने में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।'' तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अंतरिम रूप से बच्चे को उसकी माता की अभिरक्षा में दिए जाने का आदेश पारित किया गया।

8– न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि–

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 08.04.2026 तथ्यों एवं विधि के विपरीत पारित किया गया है और क्या अपीलार्थी द्वारा अपील में दिये गये आधारों पर उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं?

9– विपक्षी संख्या 2 की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था विराज भाटी एवं एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य 2023(2) जे0आई0सी0 रिपोर्टस 358 प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से सम्बन्धित है। उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य व परिस्थितियां वर्तमान मामले के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न है, इसलिए इस मामले में लागू नहीं होती है तथा उक्त विधि व्यवस्था का कोई लाभ विपक्षी संख्या 2 को नहीं मिल सकता है।

10– वर्णित तथ्य तथा आलोच्य आदेश के परिशीलन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश के माध्यम से बालक को अन्तरिम रूप से उसकी माता की अभिरक्षा में दिया गया है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अनुसार आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी संतान की अभिरक्षा अस्थायी रूप से दी जा सकती है।

11– माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमित कुमार बनाम चारू माकिन निर्णित दिनांक 28 मार्च, 2017 के मामले में यह विधि व्यवस्था दी है कि किसी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद बच्चे के सर्वोत्तम हित में और बच्चे के हितों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए अन्तरिम उपाय के रूप में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 21 के तहत न्यायालय बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा प्रदान करने या बच्चे से मिलने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश पारित कर सकता है। हालांकि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 किसी अव्यस्क बच्चे की अभिरक्षा और संरक्षता के मुद्दे के लिए अन्तिम उपाय नहीं है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7(जी) किसी व्यस्क की संरक्षता या किसी अव्यस्क की अभिरक्षा या उसे मिलने के अधिकार से सम्बन्धित मुकदमे या कार्यवाही का निर्णय करने का अधिकार परिवार न्यायालय को प्राप्त है।

12– किसी अव्यस्क को अन्तरिम रूप से अभिरक्षा में देते समय न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि अव्यस्क का सर्वोत्तम हित किस प्रकार संरक्षित रहेगा। विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि विचारण न्यायालय ने बालक को अपीलार्थी की अभिरक्षा से लेकर विपक्षी संख्या 2 की अभिरक्षा में अन्तरिम रूप से क्यों दिया। आलोच्य आदेश में इस तथ्य का भी कोई उल्लेख नहीं है कि बालक के अपीलार्थी की अभिरक्षा में रहने के दौरान बालक के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पडा है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जिस पर विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांकित 08.04.2026 पारित किया है, उक्त प्रार्थना पत्र में भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि बालक का सर्वोत्तम हित विपक्षी संख्या 2 की अभिरक्षा में है तथा इस तथ्य का भी कोई उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी की अभिरक्षा में रहते हुए बालक के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पडा है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के अनुसार आलोच्य आदेश दिनांकित 08.04.2026 स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत फौजदारी अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 08.04.2026 अपास्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत फौजदारी अपील संख्या 04/2026 स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08.04.2026 अपास्त किया जाता है।

विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित करें।

आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित हो।

अपील पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 10.07.2026

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवबन्द, जिला सहारनपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित और दिनांकित करते हुए सुनाया गया।

दिनांकः 10.07.2026

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवबन्द, जिला सहारनपुर।